

## न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :- 125/2017

उनवानी प्रकरण :-

समुन्द्र सिंह पुत्र वचन सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोलुआ तहसील बाडी जिला धौलपुर ————— अपीलान्त।

### बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कंचनपुर जिला धौलपुर — रेस्पोंडेण्ट।

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 17.02.2017

नायब तहसीलदार कंचनपुर प्र.सं. 215/17

उनवानी राजस्थान सरकार बनाम समुन्द्रसिंह

अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

### उपस्थिति :-

1. अपीलान्त की ओर से :- श्री हरीसिंह बघेला अभिभाषक।
2. रेस्पोंडेण्ट की ओर से :- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :-13.11.2017

### निर्णय

अपीलान्त द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार कंचनपुर के निर्णय दिनांक 17.02.17 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का कोलुआ ने रंजिश वश अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलान्त ने सम्बत 2073 में आराजी खसरा नम्बर 464 रकवा 03 बीघा 09 विस्वा में से 1 बीघा भूमि पर कब्जा कर अतिचार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्त को सूचित एवं अपीलान्त की तामील किए एकपक्षीय कार्यवाही की गई। मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर उक्त खसरा नम्बर के कुल रकवा 03 बीघा 09 विस्वा में से 1 बीघा भूमि पर सम्बत 2073 में फसल सरसों बोकर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर आराजी से बेदखल करते हुए एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया एवं लगान का 50 गुना शास्ती आरोपित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित किया है जो कि अपारत किये जाने योग्य है। अपीलान्त पर सम्मनो की तामील नहीं हुई ना ही कोई सूचना दी गई। अपीलान्त की बैंक पर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्त को किसी प्रकार से साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्त ने सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया है अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है।

(शुचि त्यागी)  
जिला कलक्टर  
धौलपुर



जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि पेश है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.2.2017 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलान्त ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.02.2017 तथा रिपोर्ट पटवारी की प्रमाणित प्रति पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं एक माह के कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त पर कोई सम्मन तामील नहीं कराये है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय है जो अपीलान्त की बैंक पर पारित किया गया है। अपीलान्त को साक्ष्य एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्त के विरुद्ध पटवारी हल्का ने गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त कार्यवाही की है जो गलत है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.02.2017 की जानकारी नहीं रही। अपील प्रस्तुत करने से कुछ दिन पूर्व अपीलान्त को पुलिस से निर्णय की जानकारी हुई। अपील प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की लापरवाही व देरी नहीं की है फिर भी पृथक से धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अपीलान्त ने न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि विवादित आराजी का कब्जा हटा लिया है, वर्तमान में आराजी मौके पर खाली पडी है तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2017 अपास्त किया जावे।

रेस्पोंडेन्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्त विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्त स्वयं पर हुई है। नोटिस तामील पर अपीलान्त का अंगूठा निशानी है। अतः अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलान्त पर सम्मन की तामील नहीं हुई है। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्त को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि अपीलान्त बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय के समक्ष जिरह, बयान, एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

(शुचि त्वागी)  
जिला कलक्टर  
धौलपुर



उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्णरूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2017 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :-

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि अपीलान्त विवादित भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है।
2. अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं हैं कि अपीलान्त पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्त स्वयं पर हुई है। नोटिस प्राप्ति पर अपीलान्त की अंगूठा निशानी है।
3. अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्त को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि अपीलान्त बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।
4. अपीलान्त द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि विवादित आराजी का कब्जा छोड़ दिया है, वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है, न ही भविष्य में कभी कब्जा करेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार कंचनपुर मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्त ने कब्जा हटा लिया है। यदि अपीलान्त शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार अपीलान्त के विरुद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत असल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाए जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शुचि सागी)  
जिला कलक्टर धौलपुर  
धौलपुर